भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या:2277

दिनांक 31 जुलाई, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

उत्तरी केरल में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण

†2277. श्री राजमोहन उन् नीथन:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उत्तरी केरल के सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों, आईसीयू बिस्तरों और नैदानिक सुविधाओं की उपलब्धता का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान केरल में जिला अस्पतालों और चिकित्सा महाविद्यालयों के सुदृढ़ीकरण के लिए जारी की गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त राज्य के कासरगोड जिले में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के उन्नयन के लिए केन्द्र सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ): स्वास्थ्य राज्य का विषय है। जन स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करने, जिसमें स्वास्थ्य सुविधाकेंद्रों का उन्नयन भी शामिल है, की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में जन स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए केरल सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भारत सरकार मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्यवाही अभिलेख (आरओपी) के रूप में प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान करती है। केरल में स्वास्थ्य सुविधाकेंद्रों के उन्नयन के लिए दिए गए अनमोदनों का विवरण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर (यूआरएल) पर उपलब्ध है, जो इस प्रकार है:

https://nhm.gov.in/index4.php?lang=1&level=0&linkid=53&lid=66

केरल सहित सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध विशेषज्ञ डॉक्टरों, बिस्तरों और अन्य सुविधाकेंद्रों आदि का विवरण एचडीआई 2023-24 के निम्नलिखित लिंक पर देखा जा सकता है:

https://www.mohfw-dohfw.gov.in/static/uploads/2026/05/57202cf30629539e4d0fb0a2f700ac62.pdf

वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2025-26 तक केरल राज्य के लिए अवसंरचना सुदृढ़ीकरण सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत निर्गत और व्यय का विवरण नीचे दिया गया है:

एनएचएम के अंतर्गत केंद्रीय निर्गत और व्यय

(करोड़ रुपये में)

राज्य	2023-24		2024-25		2025-26	
	केंद्रीय निर्गत	व्यय	केंद्रीय निर्गत	व्यय	केंद्रीय निर्गत	व्यय
केरल	189.15	1,246.25	1,351.78	1,422.88	813.16	1,743.43

नोट:

1. व्यय में केंद्र द्वारा निर्गत, राज्य द्वारा निर्गत और वर्ष के प्रारंभ में अव्ययित शेष निधि की तुलना में व्यय भी शामिल है। व्यय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत किए गए वित्त वर्ष रिपोर्ट (एफएमआर) के अनुसार है और यह अनंतिम है।
2. उपर्युक्त निर्गत केंद्र सरकार के अनुदानों से संबंधित हैं और इनमें राज्य सरकार का अंशदान शामिल नहीं है।

मौजूदा सरकारी मेडिकल कॉलेजों के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य से, यह मंत्रालय केंद्र प्रायोजित योजना सरकारी मेडिकल कॉलेजों के सुदृढ़ीकरण और उन्नयन के माध्यम से स्नातकोत्तर सीटों की संख्या में वृद्धि का प्रबंधन करता है। इस योजना के तहत केरल राज्य के लिए 68.26 करोड़ रुपये की लागत से 193 स्नातकोत्तर सीटों के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया है। केंद्र सरकार का अंशदान 45.25 करोड़ रुपये है और अभी तक 43.9 करोड़ रुपये की राशि निर्गत की जा चुकी है।
